जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजना

I. **जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजना** :–

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा अपने निबंधित लाभुकों को जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सामूहिक बीमा योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड, निबंधित लाभुकों के लिए नोडल एजेन्सी है। बोर्ड के द्वारा लाभुकों के लिए देय 100/– रूपये सलाना प्रीमीयम राशि का भुगतान LIC को किया जाता है।

II. **योजना की पात्रता** :–

1. सभी निबंधित लाभुक इस योजना से आच्छादित होंगे।

क्रमांक	स्थिति	योजनान्तर्गत देय लाभ
1	सामान्य मृत्यु पर	30000/–
2	दुर्घटना से मृत्यु	75,000/–
3	दुर्घटना से स्थायी व पूर्ण अशक्तता होने पर	75,000/–
4	दुर्घटना से दो आँखों या दो अंगों की हानि	75,000/–
5	दुर्घटना से एक आँख या एक अंग की हानि	37,500/–

- **जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत शिक्षा सहयोग योजना में लाभुकों के कक्षा (I. T. I. कोर्स समेत) में अध्ययनरत दो बच्चों को 100/– प्रतिमाह के दर से छात्रवृति देय होगी।**

III. **जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत प्रमण्डलवार आच्छादित लाभुकों की संख्या**

क्रमांक	प्रमण्डल का नाम	निबंधित लाभुकों की संख्या (माह अपैल, 2014 तक)	योजनान्तर्गत वर्षवार प्रगति विवरणी			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अपैल, 2014
1	उपश्रमायुक्त, राँची	48,425	4,661	9,767	21,966	1,290
2	उपश्रमायुक्त, जमशेदपुर	44,459	5,170	-	19,210	492
3	उपश्रमायुक्त, दुमका	35,650	5,320	3,647	8,546	-
4	उपश्रमायुक्त, हजारीबाग	61,758	12,971	4,864	19,131	2,557
5	उपश्रमायुक्त, बोकारो	38,496	5,701	1,916	19,223	-
	कुल योग	2,28,788	33,823	20,194	88,076	4,339